न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –40 / 2024 GCMS CASE NO-2024/42

1. गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालासिंहवाला हाल वार्ड न. 37 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

––अपीलांट

बनाम

1. रवि मलहान पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. हनुमानसिंह पुत्र कुम्भाराम जाति सुथार निवासी वार्ड न. 13 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. उप–पंजीयक सूरतगढ़

––रेस्पोडेंट्स

उपस्थित–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. पैरोकार राज. रेस्पोडेंट

–::निर्णय::– दिनांक : 23.07.2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही उदयपुर मुसलमान के खसरा नम्बर 68/2 मिन जो बाद में खसरा नम्बर 136/38 की भूमि थी तथा बाद में चक 4 केएसएल के पत्थर न. 95/14 में पैमूद हो गई। रोही उदयपुर मुसलमान के खसरा नम्बर 68/2 मिन तथा इसके बाद का खसरा नम्बर 136/68 में कुल 3.036 है0 अनकमाण्ड भूमि ऐसा पत्नी स्व. नूरदीन, कालेखां–युसफ अली व लियाकत पि. स्व नूरदीन के नाम से खातेदारी दर्ज होकर उनके कब्जा काश्त में चली आ रही थी। ऐसा वगैरह ने उक्त भूमि कविता अग्रवाल पुत्री पवनकुमार को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.02.2009 को खसरा नम्बर 68/2 मिन का पूर्वी भाग उतर से दक्षिण का बेचान कर दिया तथा कब्जा काश्त भी मौके पर खरीददार कविता का करवा दिया। खरीददार कविता अग्रवाल ने उक्त जैरअपील भूमि को दिनांक 19.07.2010 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा गिरधारीलाल पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी भगवानसर तहसील सूरतगढ व गुरनामसिंह पुत्र श्री श्यामसिंह जाति कुम्हार निवासी लीलावाली तहसील संगरिया व सुनिलकुमार पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी भूनावाली ढाणी तहसील हनुमानगढ़ को बैचान कर दिया व कब्जा काश्त मौके पर खरीददारान गिरधारीलाल वगैरह को सौंप दिया। खरीददारान गिरधारीलाल वगैरह ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड वैयनामा दिनांक 08.02.2012 को अपीलान्ट गुरदर्शनसिंह व ज्ञानसिंह पुत्र जीतसिंह व गुरलाभसिंह पुत्र अमोलकसिंह को वैचान करके कब्जा काश्त मौके पर उसी स्थान व कब्जा काश्त वाली भूमि का दिया जो सर्वप्रथम मूल खातेदार ऐसा वगैरह ने प्रथम बैयनामा कविता को करवाया था। हम अपीलान्टगण रेस्पों 1 व 2 से पहले के खरीददार काश्तकार है। इसके बाद में ज्ञानसिंह पुत्र जीतसिहं व गुरलाभसिंह पुत्र अमोलकसिंह ने भी अपने हिस्सा की समस्त जैरअपील भूमि को अपीलान्ट गुरदर्शनसिंह को बेचान दिनांक 18.04.2012 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कर दिया तथा कब्जा काश्त मौके पर अपीलान्ट को सौंप दिया। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि का एकमात्र खातेदार अपीलान्ट है तथा मौके [illegible] काश्त है। जैरअपील रकबा की चकबन्दी होने पर जैरअपील रकबा चक 4 केएस[illegible] में [illegible] नम्बर 95/14 के किला नम्बर 10–11/0.506, 19/0.101. 20/0.152, 21/0.253= [illegible] हैक्टेयर अनकमाण्ड रकबा अपीलान्ट के खसरा से तथा अपीलान्ट के कब्जा काश्त के [illegible] रकबा से पैमूद हुआ है। अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:21:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय ने अपीलान्ट का उक्त खातेदारी रकबा रेस्पो 1 व 2 के नाम से गैरकानूनी रूप से दर्ज कर दिया। रेस्पो. 1 व 2 द्वारा जो रकबा बजरंगलाल व जोगेन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 20.06.2012 को खरीद किया गया था वह रोही उदयपुर मुसलमान का था व उसकी चकबन्दी में भी फिटिंग चक उदयपुर मुसलमान में ही हुई है। बैयनामा में चक 4 केएसएल का जो रकबा दिया गया है उसमें पत्थर नम्बर 95/13 व 95/14 के 3.404 हैक्टेयर में से सिर्फ 0.379 हैक्टेयर रकबा ही खरीद किया गया है व उसमें पत्थर नम्बर 95/14 का किला नम्बर 10-11-19-20-21 का 1.012 हैक्टेयर रकबा नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि जैर अपील इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका की जांच किये, बिना कब्जा काश्त की जांच किये, जैर अपील भूमि का अपीलाधीन इंतकाल दर्ज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा जैरअपील नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 20.12.2013 में रेस्पो 1 व 2 के नाम से दर्ज रकबा जैरअपील वाके चक 4 केएसएल में पत्थर नम्बर 95/14 के किला नम्बर 10-11/0.506, 19/0.101, 20/0.152, 21/0.253=1.012 है0 अनकमाण्ड रकबा तक का नामान्तरकरण निरस्त किया जावे तथा उक्त रकबा अपीलान्ट के नाम से दर्ज करने का आदेश अदालत मातहत को दिया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर शामिल मिसल किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश मनचन्द तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 4 बावजूद पर्याप्त सूचना के अनुपस्थित रहे। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अतिरिक्त कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामांतकरण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 270/2013 अनवान रवि मलहान आदि बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2013 डिक्री दिनांक 05.12.2013 की पालना में दर्ज किया गया है। जिसमें अपीलांट पक्षकार नहीं थे। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ के उक्त निर्णय दिनांक 05.12.2013 के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 10/2014 अनवान गुरदर्शन सिंह बनाम रवि मलहान आदि पेश की जो दिनांक 14.11.2017 को खारिज कर दी गई। राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 14.11.2017 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील डिक्री टीए संख्या 6987/2017 अनवान गुरदर्शन सिंह बनाम रवि मल्हान आदि पेश की जो आज दिनांक तक माननीय मण्डल में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र संख्या 132/2014 ब अनवान गुरदर्शन सिंह बनाम हनुमानसिंह आदि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष चक 4 केएसएल के मुरब्बा न. 95/14 किला न. 10, 11, 19, 20, 21 की 1.012 है0 के संबंध में घोषणात्मक वाद जैरकार है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1995 पेज 121 पेश कर निवेदन है जिस आदेश से जैर अपील इंतकाल स्वीकृत किया गया है उस आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रकरण विचाराधीन है जिसके निस्तारण तक नामांतकरण निरस्त किया जावे। अपीलांट द्वारा उक्त रकबा रेस्पोडेंट से पहले खरीद किया है। जैर अपील नामांतरण दर्ज करने पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया तथा ना ही मौका व कब्जा की जांच की गई। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1995 पेज 124 पेश कर निवेदन है कि जहां उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण स्वीकृत नहीं होता हो वहां मौका एवं कब्जा काश्त की जांच की जानी आवश्यक है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 04.02.2014 को अपीलांट की एकतरफा बहस सुनकर स्थगन आदेश पारित किया गया था जो खारिज किया जा चुका है। जैर अपील इंतकाल न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 270/2013 अनवान रवि मलहान आदि बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2013 की पालना में दर्ज हुआ है जो मूल आदेश निरस्त होने पर ही निरस्त हो सकता है। मौका पर कभी भी अपीलांट का कब्जा काश्त नही रहा। हम रेस्पोडेंटगण खरीद [illegible] से काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडेंटगण का खरीदशुदा रकबा जिसे चकबन्दी [illegible] दौरान [illegible] अंकित कर दिया गया था जिसकी घोषणा सक्षम न्यायालय से हमने अपने नाम [illegible] हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटगण के पक्ष में जारी डिक्री की इजराय की [illegible] राजस्व रिकार्ड में भूमि अप्रार्थीगण के नाम से अंकित की हुई है, जो आज तक [illegible] अपीलांट हुकमन आदेश के विरूद्ध अपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:21:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(10)

पेश करने का कतई अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा एक अन्य वाद पत्र संख्या 132/2014 ब अनवान गुरदर्शन सिंह बनाम हनुमानसिंह आदि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया हुआ है जो जेरकार है। विचारण न्यायालय में वाद जैरकार हो तो अपील चलने योग्य नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे तथा जैर अपील इंतकाल यथावत रखा जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 3 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1995 पेज 120 अनुसार -In case a mutation has been attested and suit between both the parties is also pending and an appeal (against the mutation) has also been filed before the competent authority, the appellate authority is required to decide the appeal on merits-In case it finds that it is very difficult to decide the issue, the best course would be to set aside the impugned mutation and then stay further proceedings till the finalisation of the suit between the parties-In no case can the mutation be allowed to remain in tact"

अर्थात यदि नामांतकरण स्वीकृत हो चुका हो और दोनों पक्षों के बीच वाद भी लंबित है तो अपीलीय प्राधिकारी को अपील का गुण–दोष के आधार पर निर्णय करना आवश्यक है। यदि वह पाता है कि इस मुद्दे पर निर्णय करना बहुत कठिन है, तो सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि विवादित दाखिल खारिज को रद्द कर दिया जाए और फिर पक्षों के बीच वाद के अंतिम रूप से निपटारे तक आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए। किसी भी स्थिति में दाखिल खारिज को यथावत रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में भी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ के उक्त निर्णय दिनांक 05.12.2013 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील डिक्री टीए संख्या 6987/2017 अनवान गुरदर्शन सिंह बनाम रवि मल्हान आदि जैरकार है। इसके अतिरिक्त न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ में भी घोणात्मक वाद संख्या 132/2014 ब अनवान गुरदर्शन सिंह बनाम हनुमानसिंह आदि जैरकार है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत की अनुपालना में उक्त दोनों प्रकरणों के निस्तारण तक हम अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 54 दिनांक 20.112.2013 निरस्त करना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा स्वीकृत चक 4 केएसएल का नामांतकरण संख्या 54 स्वीकृत दिनांक 20.12.2013 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 6987/2017 व न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 132/2014 के निस्तारण तक अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:21:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner